

प्रश्नक,

**श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
वीरगंज तहसील,
उत्तर प्रदेश शासन ।**

सेवा में,

**श्री श्री
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मैट्रिक केंद्र-2 तारापूर,
श्री गुरु विहार, नई दिल्ली ।**

शिक्षा 171 अनुभाग

तख्तक: दिनांक: **27 जून, 2009**

विषय:-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की तारापूर कक्षा की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी.बी.एस.सी.** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनारपित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 मा. शिक्षा परिषद/बोर्ड/बोर्डिंग शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बोर्डिंग शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कींसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाय मिनेश नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 3090 मा. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 15] संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18] विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव ।

पू०संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **अजमेर** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **राज** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **विपीआरएफ रोडवे कालेज, राज** ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

अशोक सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव ।

9